कार्यालय नगर पंचायत चकिया, पूर्वी चम्पारण।

अल्पकालीन कोटेशन सूचना सं0–19/2017–18

E-mail id-ulb.bih.chakia@gmail.com
Mob-9931057593

डिजिटल इंडिया अभियान के अन्तर्गत नगर पंचायत चकिया को संपत्ति कर प्रबंधन एवं ट्रेड लाईसेंस हेतु सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है। इच्छुक विशेषज्ञ/कम्पनी/फर्म से सॉफ्टवेयर विकसित कर आपूर्ति करने हेतु दर/मूल्य आमंत्रित की जाती है। कोटेशनदाता दिनांक–23.01.2018 तक एकल लिफाफे में दर/मूल्य कार्यालय नगर पंचायत चकिया, पूर्वी चम्पारण में जमा कर सकते हैं, जो सशक्त स्थायी समिति के समक्ष दिनांक–05.02.2018 को 11.30 बजे पूर्वाह्न खोली जाएगी।

1 प्रोपर्टी टैक्स सॉफ्टवेयर की विशिष्टता निम्न प्रकार होगी–

वार्डो की संख्या	कुल होल्डिंग	विशिष्टता	कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए
12	6069	1. वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से आरंभ होता है। 2. Carrent Year को Property tax यदि अप्रैल, मई एवं जून में भुगतान होता है तो Carrent Year के Property tax में 5% की छूट दी जाती है। 3. Carrent Year की Property tax यदि जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में भुगतान होता है तो न छूट दी जाती है एवं न ही ब्याज लिया जाता है। 4. Carrent Year की Property tax यदि अक्टुबर माह या उसके बाद भुगतान होता है तो उतने माह का 1.5% की दर से ब्याज ली जाती है। 5. 1 अप्रैल 2013 से पूर्व के बकाये पर 2 प्रतिशत मासिक ब्याज लिया जाता है। 6. 1 अप्रैल 2013 के बाद बकाये प्रोपर्टी टैक्स पर 2 प्रतिशत मासिक ब्याजा लिया जाता है। 7. भवन में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था होने पर प्रोपर्टी टैक्स में 5 प्रतिशत छूट का प्रावधान है।	1. जनता ऑनलाईन यदि अपना होल्डिंग संख्या अथवा अपना नाम डालें तो उसके सामने उस होल्डिंग की पूरी जानकारी एवं पूर्व के भुगतान की विवरणी आ जाय। 2. व्यक्ति अपना अंतिम भुगतान की तिथि यदि डालें तो बकाया प्रोपर्टी टैक्स, करेंट ईयर प्रोपर्टी टैक्स एवं ब्याज की राशि अंकित होकर उपभोक्ता को मिल जाय। 3. यदि उपभोक्ता अपना प्रोपर्टी टैक्स जमा करना चाहता है, तो आवश्यक जानकारी डालने के उपरांत नगर पंचायत चकिया को Submit करने पर टैक्स कलेक्टर द्वारा Allow करने पर व्यक्ति राशि कर संग्राहक अथवा बैंक में राशि जमा होने पर सिस्टम सम्पत्ति कर रसीद निर्गत करे। 4. सॉफ्टवेयर में यह सुविधा होनी चाहिए कि किस कर संग्राहक अथवा बैंक ने किस दिन कितने लोगों से, किन–किन लोगों से कितना–कितना राशि वसूल किया है। 5. सिस्टम यह बताने में सामर्थ होना चाहिए कि कितने होल्डिंग का टैक्स बाकी है एवं उसका नोटिस जेनरेट करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

2. ट्रेड लाईसेन्स सॉफ्टवेयर की विशिष्टता निम्न प्रकार होगी–

ट्रेड लाईसेन्स जारी करने की वर्त्तमान प्रक्रिया	उपलब्ध डाटा	सॉफ्टवेयर कैसा चाहिए
1. आवेदन पत्र के साथ आवेदन को आधार कार्ड / वोटर आईडी कार्ड / पैन कार्ड / किरायानामा / Current Years प्रापर्टी टैक्स रसीद 2. आवेदन पर आवेदक का फोटो होता है। 3. आवेदन पत्र की जॉच होती है। 4. सही पाये जाने पर पंजीकरण शुल्क / नवीकरण शुल्क जमा करने का नोटिस आवेदक को जारी होता है। 5. आवेदक द्वारा राशि जमा करने पर आवेदक को ट्रेड लाईसेन्स सर्टिफिकेट जारी होता है।	ट्रेड की सूची पंजीकरण एवं नवीकरण पंजी	1. सॉफ्टवेयर ऑनलाईन आवेदक द्वारा भरा जाना चाहिए। 2. फोटो यथा स्थान अपलोड करने की व्यवस्था होनी चाहिए। 3. डक्यूमेंट अपलोड करने की व्यवस्था होनी चाहिए। 4. नगर पंचायत कार्यालय आवेदन एवं डक्यूमेंट को डाउनलोड कर ले यह व्यवस्था होनी चाहिए। 5. आवेदक को पंजीकरण / नवीकरण शुल्क नोटिस ऑनलाईन भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। 6. सर्टिफिकेट ऑनलाईन जेनरेट होनी चाहिए। 7. ऑनलाईन जेनरेट सर्टिफिकेट को रद्द करने एवं संशोधन करने की व्यवस्था होनी चाहिए। 8. कोई भी व्यक्ति सर्टिफिकेट नंबर डालकर, सर्टिफिकेट को देख सके एसी व्यवस्था होनी चाहिए। 9. मदवार, माहवार, वर्षवार, पंजीकृत, नवीकृत आदि आधार पर डाटा जेनरेट करने की व्यवस्था होनी चाहिए। 10. यदि कोई लाईसेन्सधारी नियत समय से पूर्व नवीकृत नहीं करवाया है, तो उसकी सूची जेनरेट होने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसे ऑनलाईन नोटिस भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। 11. यदि किसी व्यक्ति को एक वर्ष जो पंजीयन संख्या मिले वह दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष अन्य किसी व्यक्ति को न मिले। यह पंजीयन संख्या ऑटोमेटिक जेनरेट नहीं होनी चाहिए बल्कि कार्यालय द्वारा दिये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। 12. यदि कोई प्रतिष्ठान पूर्व से पंजीकृत तो उस नाम से दूसरा संस्थान / दुकान पंजीकृत नहीं होनी चाहिए।

शर्तें–

1. कोटेशनदाता को 5000/– रूपया का डिमाण्ड ड्राफ्ट नगर कार्यपालक पदाधिकारी, चकिया के नाम से अथवा 5000/–रूपये का एम0आर0 कोटेशनदाता को अपने नाम से कटवाकर कोटेशन पत्र के साथ संलग्न करना होगा जो दोनों कार्य लिए है।
2. कोटेशनदाता को एक शपथ–पत्र देना होगा कि नगर पंचायत चकिया द्वारा उपलब्ध कराये गये जानकारी, डाटा / सूचना का न तो दुरूपयोग करेंगे न ही किसी अन्य मकसद के लिए किसी दूसरे एजेंसी को देंगे न ही स्वयं इस्तेमाल करेंगे।
3. कोटेशनदाता एक से अधिक कोटेशन नहीं देंगे।
4. GST पंजीकरण प्रमाण–पत्र स्वअभिप्रमाणित कर संलग्न करना होगा।
5. कोटेशनदाता को पैन नं0 की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित कर संलग्न करना होगा।
6. आयकर एवं जी0एस0टी0 की कटौती नियमानुसार की जाएगी।
7. सॉफ्टवेयर डेवलपर को भुगतान चेक के माध्यम से नियमानुसार कटौती कर किया जाएगा।
8. कोटेशनदाता को अग्रिम नहीं दी जायेगी।
9. कार्य पूर्ण होने पर 70 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा एवं सिस्टम का दो माह ट्रायल चलेगा। सफल होने पर ही शेष 30 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा।
10. कोटेशनदाता को 1 वर्ष तक सॉफ्टवेयर में आनेवाली कमी / खराबी को निःशुल्क ठीक करना होगा।
11. कोटेशनदाता द्वारा दिया गया सॉफ्टवेयर का उपयोग नगर पंचायत चकिया द्वारा आगे के वर्षों में भी किया जायेगा। इसके लिए अलग से डेवलपर को कोई राशि नहीं दी जायेगी।

12 नेट बैंकिंग से सॉफ्टवेयर को जोड़ने हेतु यदि इसे इम्प्रूभ करना होगा तो डेवलपर के साथ अलग से समझौता कर राशि भुगतान की जायेगी।

13 सॉफ्टवेयर डेवलपर द्वारा मॉगी जानकारी / डाटा / सूचना यथासभव शीघ्रता से नगर पंचायत चकिया उपलब्ध कराएगी।

14 अधोहस्ताक्षरी को किसी भी समय निविदा को रद्द करने का अधिकार होगा।

ह0 /-
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत चकिया।

ज्ञापांक- 46 / दिनांक- 08.01.2018 /

प्रतिलिपि- माननीय मुख्य पार्षद / उपमुख्य पार्षद / सभी पार्षद, नगर पंचायत चकिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी नगर आयुक्त, नगर निगम / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद एवं नगर पंचायत, बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर उक्त सूचना को प्रदर्शित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया को सूचनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि अनुमंडल कार्यालय के सूचना पट्ट पर उक्त सूचना को प्रदर्शित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- श्री संजीव मिश्रा, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि उक्त सूचना को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि- श्री सतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि उक्त सूचना को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत चकिया।

Please, See our Website nagarpalikachakia.in